न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. भंवरलाल / भूमिधारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5.0.61 · 5 · 111/22	नंबर व ता... जो इ... तामील...

पुत्र सुलतान'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेशशुदा शपथपत्रों एवं संलग्न अन्य जमाबंदीयों तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम दलपतपुरा पटवार हल्का दलपतपुरा तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1287 1144 में वादी का गलत दर्ज नाम ''भजनलाल पुत्र सुलतान'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''भंवरलाल पुत्र सुलतान'' दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक)नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:21:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**

बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. भंवरलाल पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी दलपतपुरा तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 111 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री कुंज बिहारी शर्मा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तहसीलदार पाटन तन ग्राम दलपतपुरा पटवार हल्का दलपतपुरा तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1287, 1144 में वादी का गलत दर्ज नाम "भजनलाल पुत्र सुलतान" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "भंवरलाल पुत्र सुलतान" किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें।**

हो।

.निज....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें का अदा करें। के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख** 25 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत............ ...क्टर (F.T.)

ओहदा............ ...ना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमिश्नर			[illegible]		
बाबत इजराय			[illegible]		
हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफरिक			[illegible]		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:21:35 IST
Reason: SelfAttested